पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—भागीरथ राम आर.ए.एस.

वाद नं0 — 149/2023

1. भरतसिंह पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. महावीर पुत्र रामचंद्र जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
2. सुनीता पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
3. पवन कुमार पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
4. मनजीत पुत्र सतवीर जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील वादी श्री राजेन्द्र गोयल एवं वकील प्रतिवादी श्री भानुप्रताप व वकील श्री सलमान खान की उपस्थित मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादभूमि रोही मौजा 3 केआरपी के खाता सं0 104/89 के मु0 न0 84 के किला न0 10/2 की 0.126है0 नहरी, संयुक्त मुश्तर्फा खातेदारी दर्ज है। जिसमें वादी भरतसिंह का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी महावीर का 1/4 हिस्सा व सतवीर का 1/4 हिस्सा खातेदारी दर्ज है सतवीर की आज से करीब 5 वर्ष पूर्व एक्सीडेण्ट में मृत्यु हो चुकी है जिसके हक व हिस्सा पर उसकी पत्नी सुनीता, एवं दो पुत्र पवन कुमार व मनजीत जो दावा में बतौर प्रतिवादी दर्ज है में खाता विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डीक्री किया जाकर पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

वादी भरतसिंह पुत्र लिछमण जाति जाट निवासी करणपुरा सा0 देह खातेदारः—

3 केआरपी के खाता सं0 104/89 के मु0 नं0 84	किला न0 10/2/1	रकबा 0.063है0 नहरी कुल रकबा 0.063है0 नहरी

पवन कुमार पुत्र सतवीर 1/6 हिस्सा, मनजीत पुत्र सतवीर 1/6 हिस्सा, सुनीता पत्नी सतवीर 1/6 हिस्सा, महावीर पुत्र रामचन्द्र 1/2 हिस्सा जाति जाट सा0 करणपुरा सा0 देह खातेदार—

3 केआरपी के खाता सं0 104/89 के मु0 न0 84	किला न0 10/2/2 10/2/3	रकबा 0.010है0 नहरी 0.053है0 नहरी कुल रकबा 0.063है0 नहरी

उपरोक्तानुसार पक्षकारान का खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना—अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 08/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़